

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना ।
उप रसायनिक विश्लेषक सह लोक विश्लेषक
संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, पटना
लोक विश्लेषक जिला जन स्वास्थ्य
प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर
संबंधित सिविल सर्जन (सूची संलग्न) ।

पटना, दिनांक - 11-10-2018

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत आयोजना भिन्न व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण-0001-खाद्य नियंत्रक स्थापना विपत्र कोड-20-2210061020001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य मदों में कुल ₹ 1,46,99,580/- (एक करोड़ छियालीस लाख निनान्चे हजार पाँच सौ अस्सी रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-23(7)ब दिनांक-14.06.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार विभिन्न प्राथमिक इकाईयों में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते मदों एवं अन्य मदों में कुल ₹ 1,46,99,580/- (एक करोड़ छियालीस लाख निनान्चे हजार पाँच सौ अस्सी रुपये) मात्र अतिरिक्त आवंटन दी जाती है ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. मांग संख्या 20 अन्तर्गत आयोजना भिन्न व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण-0001-खाद्य नियंत्रक स्थापना विपत्र कोड-20-2210061020001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आयोजना भिन्न में उपबधित राशि से की जायगी ।

4. इनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/ उप रसायनिक विश्लेषक सह लोक विश्लेषक संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, पटना/ लोक विश्लेषक जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर/ संबंधित सिविल सर्जन तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

6. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002, 379(9) दिनांक-16.08.2002 एवं 73(9) दिनांक 28.1.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

7. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

Q

8. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के कम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।


9. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।


10. यह मात्र आवंटन है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय । व्यय हेतु वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
11. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है ।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
13. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव




ज्ञापांक : 51 (7) 6


दिनांक : 11-10-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सम्बंधित जिला पदाधिकारी/सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव



क्रम	जिला का नाम	वैतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वैतन	कार्यालय व्यय (13-01)	विधि प्रभार (13-05)	वर्दी/पोषाक (13-06)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01)	दवा भंडार (21-02)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना	400000	40000	200000	80000	24000	80000	824000	0	0	0	0	0	824000	
2	उप निदेशक सह लोक विश्लेषक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	50/30.8.18
3	लोक विश्लेषक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर	550000	55000	275000	0	33000	110000	1023000	0	0	0	0	0	1023000	
4	सिविल सर्जन, पटना	850000	85000	425000	80000	51000	170000	1661000	50000	0	0	10000	0	1721000	6057/24.8.18
5	सिविल सर्जन, भागलपुर	650000	65000	325000	0	39000	130000	1209000	0	0	0	0	0	1209000	3552/19.9.18
6	सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर	500000	60000	125000	0	30000	100000	815000	5000	3000	0	0	0	823000	2866/3.9.18
7	सिविल सर्जन, गया	330000	39600	66000	0	19800	66000	521400	5000	17000	0	5000	0	548400	2513/25.8.18
8	सिविल सर्जन, बेतिया, पठारम्पारण	200000	24000	40000	0	12000	40000	316000	0	0	0	0	0	316000	
9	सिविल सर्जन, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण	200000	24000	34000	0	12000	40000	310000	0	0	0	0	0	310000	
10	सिविल सर्जन, दरभंगा	300000	36000	54000	0	18000	60000	468000	0	0	0	0	0	468000	1446/11.8.18
11	सिविल सर्जन, मुंगेर	190000	20900	38000	0	11400	38000	298300	0	0	0	0	0	298300	1880/17.9.18
12	सिविल सर्जन, खगड़िया	210000	25200	42000	0	12600	42000	331800	0	0	0	0	0	331800	
13	सिविल सर्जन, औरंगाबाद	450000	54000	90000	0	27000	90000	711000	20000	5000	1000	5000	0	742000	1812/12.9.18
14	सिविल सर्जन, समस्तीपुर	200000	24000	40000	0	12000	40000	316000	0	0	0	0	0	316000	
15	सिविल सर्जन, मधुबनी	220000	26400	44000	0	13200	44000	347600	20000	0	2000	5000	0	374600	2451/25.9.18
16	सिविल सर्जन, सारण, छपरा	400000	48000	80000	0	24000	80000	632000	0	0	0	0	0	632000	2684/24.9.18
17	सिविल सर्जन, वैशाली, हाजीपुर	450000	54000	90000	0	27000	90000	711000	0	0	0	0	0	711000	1311/21.7.18
18	सिविल सर्जन, नालन्दा	250000	30000	50000	0	15000	50000	395000	0	0	1000	0	0	396000	3056/19.9.18
19	सिविल सर्जन, बेगुसराय	400000	48000	80000	0	24000	80000	632000	0	0	0	0	0	632000	1957/25.9.18
20	सिविल सर्जन, नवादा	800000	40000	160000	0	48000	160000	1208000	0	0	0	0	0	1208000	1989/21.7.18
21	सिविल सर्जन, रोहतास	190000	20900	38000	0	11400	38000	298300	0	0	0	0	0	298300	960/16.4.18
22	सिविल सर्जन, सिवान	190000	20900	38000	0	11400	38000	298300	0	0	1000	0	0	299300	16/4.9.18
23	सिविल सर्जन, आरा, भोजपुर	860000	10320	17200	0	5160	17200	135880	5000	0	0	0	0	140880	3552/11.9.18
24	सिविल सर्जन, गोपालगंज	200000	24000	40000	0	12000	40000	316000	0	0	0	0	0	316000	
25	सिविल सर्जन, पूर्णिया	250000	30000	50000	0	15000	50000	395000	0	0	0	0	0	395000	2616/25.9.18
26	सिविल सर्जन, सहरसा	200000	24000	40000	0	12000	40000	316000	0	0	0	0	0	316000	
	कुल योग:-	8666000	929220	2481200	160000	519960	1733200	14489580	105000	25000	5000	25000	50000	14699580	

(एक करोड़ छियालीस लाख निम्नान्वे हजार पाँच सौ अस्सी) रु० मात्र

51 (अ) क

11-10-18

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (0001-01-01)	18000000	8940000	8666000	17606000	394000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	2000000	992800	929220	1922020	77980
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	5691000	2641000	2481200	5122200	568800
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	580000	235000	160000	395000	185000
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	984000	416400	519960	936360	47640
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	3550000	1788000	1733200	3521200	28800
	योग 20-2210.06.102.0001.01 वेतन	30805000	15013200	14489580	29502780	1302220
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	500000	0	0	0	500000
8	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	300000	153000	105000	258000	42000
9	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	1100000	800000	0	800000	300000
10	विधि प्रभार (0001-13-05)	500000	109000	25000	134000	366000
11	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	10000	5000	5000	10000	0
12	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	646000	0	0	0	646000
13	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01)	50000	25000	25000	50000	0
14	दवा भंडार (0001-21-02)	50000	0	50000	50000	0
15	सविदा सेवारत (0001-28-02)	300000	100000	0	100000	200000
16	मशीने एवं उपस्कर (0001-52-01)	800000	800000	0	800000	0
	कुल योग:-	35061000	17005200	14699580	31704780	3356220

51 (7) ए

11-10-18



सरकार के विशेष सचिव

